निर्णय वइजलास श्री हीरालाल वर्मा आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छीपाबड़ौद जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :– 166/15 दावा
दायरा दिनांक :– 15.12.2015
निर्णय दिनांक :– 12.6.17

उनवान

1. पकज पुत्र हेमराज
2. त्रिलोक पुत्र हेमराज
3. अनिल पुत्र हेमराज
4. हनुमान पुत्र हेमराज
5. उमा पुत्री हेमराज
6. गायत्रीबाई बेवा हेमराज जाति अहीर निवासी अमलावदा खरण तहसील छीपाबडौद जिला बारां

बनाम

1. मदनलाल पुत्र हजारी जाति अहीर निवासी अमलावदा खरण
2. कंचनबाई पुत्री हजारी जाति अहीर निवासी अमलावदा खरण
3. सुगनबाई पुत्री हजारी जाति अहीर निवासी अमलावदा खरण
4. लीलाधर पुत्र अयोध्याबाई पुत्री हजारी जाति अहीर निवासी अमलावदा खरण तह0 छीपाबडौद
5. राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार छीपाबडौद
6. राज्य सरकार जर्ये उप पंजीयक छीपाबडौद
7. शाखा प्रबन्धक एस बी बी जे शाखा छीपाबडौद

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए, 53, 188 आर.टी.एक्ट
निर्णय दिनांक :– 12.6.17

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री बृजमोहन मालब वादी
2. श्री मति पंकज शुक्ला प्रतिवादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88 ,89, 91, 92 ए; 53,188 आर.टी.एक्ट विरूद्ध प्रतिवादी गण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि आराजी खसरा नंबर 135 रकबा 15.17 बीघा, खसरा नंबर 287/134 रकबा 1.10 बीघा, खसरा नंबर 295/136 रकबा 16.19 बीघा मौजा खरण में स्थित है। जो प्रतिवादी कम 1 के खातेदारी में एवं 1/2 हिस्से की आराजी वादी गण के कब्जे काश्त में तथा 1/2 हिस्से की आराजी प्रतिवादी कम 1 के कब्जे काश्त में चली आर रही हैं। उक्त वर्णित आराजी को वादी कम 1 ता 5 के दादा व वादनी कम 6 के ससुर श्री हजारी पुत्र औंकार जाति अहीर ने 2/– प्रति बीघा की दर से ठाकुर साहब श्री जयेन्द्रसिंह जी सा0 सारथल से खरीद की थी उस समय वादीगण के पिता पति का श्री हेमराज का जन्म नहीं हुआ था और प्रतिवादी कम 1

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबडौद जिला बारां

Scanned by CamScanner

नाबा0 था इसलिए वादी गण के दादा ससुर ने प्रतिवादी कम 1 के नाम खरीद की है जिसका इन्तकाल नं0 13 ग्राम खरण दिनांक 4.06.1958 खाता संख्या 42 में दर्ज है उक्त आराजी वादी कम 1 ता 5 के दादा श्री हजारी ने अपने पुत्र मदनलाल जो उस समय नाबा0 थे उनके खाते दर्ज करवाई और जर्ये वली स्वयं हजारी पुत्र औकार खुद दर्ज इन्तकाल है। वादीगण के पिता पति हेमराज भूमि खरीदने के वाद पैदा हुए थे। इनके अलावा तीन पुत्रियां अयोध्याबाई, कंचनबाई और सुगनबाई हुई इस प्रकार से वादीगण के दादा व ससुर हजारी पुत्र औकार के दो पुत्र मदनलाल, हेमराज व तीन पुत्रियां कुल 5 सुलभी वारिसान है। निमें से अयोध्याबाई का स्वर्गवास हो गया है जिसका वारिस प्रतिवादी कम 4 है। वादीगण के दादा व ससुर के फोत होने के पहले से ही उक्त वर्णित आराजी को हजारी ने अपने दोनों पुत्रों मदनलाल व वादीगण के पिता व पति हेमराज को बराबर–बराबर 1/2–1/2 संभला दी थी। तब से लेकर आज तक उक्त वर्णित आराजी के हिस्सा 1/2 को हेमराज व उनकी मृत्यु के वाद वादीगण काश्त करते चले आ रहे है। दिनांक 15.9.2015 को प्रतिवादी कम 1 मदनलाल ने वादीगण को धमकी दी है कि उक्त वर्णित आराजी पर से वादीगण को उनके हिस्से की आराजी से बेदखल करेगा तथा वादीगण के द्वारा बोई हुई फसल सोयावीन को भी स्वयं काटेगा तथा कहा के उक्त वर्णित आराजी प्रतिवादी कम 1 के खाते दर्ज है इसलिए वादीगण का उक्त आराजी पर कोई हक अधिकार नहीं है। उक्त वर्णित आराजी के हिस्सा 1/2 पर हमेशा से वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। इसलिए उक्त वर्णित आराजी के हिस्से 1/2 की आराजी को वादीगण के खाते दर्ज करवा दो तो प्रतिवादी कम 1 ने इन्कार कर दिया वौर वादीगण को बेदखल करने की धमकी देने पर वाद कारण उत्पन्न हुआ। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वादीगण का वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। वादीगण ने अपने पक्ष के समर्थन मे नकल जमाबन्दी ग्राम खरण सम्वत् 2069–72 खाता संख्या 79 पेश कि गई। नकल नामा0 नंबर 13 ग्राम खरण पेश की गई। पंकज पुत्र हेमराज का शपथ–पत्र पेश किया गया। वादी एवं प्रतिवादी गण के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा हो जाने के कारण न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया गया कि ग्राम खरण की आराजी ख0नं0 135 रकवा 15.17 बीघा में से 12 बीघा आराजी वादीगण के हिस्से व हक में रहेगी। उक्त 12 बीघा आराजी का वादीगण को खातेदार कृषक घोषित कर वादीगण के खातेदारी में दर्ज कर दी जावे। मुझ प्रतिवादी कम 1 को कोई आपत्ति नहीं है। तथा शेष आराजी ख0नं0 135 रकवा 15.17 बीघा में से 3.17 बीघा आराजी तथा ख0नं0 287/134 रकवा 1.10 बीघा, व ख0नं0 295/136 रकवा 16.19 बीघा आराजी कुल 22.06 बीघा आराजी प्रतिवादी कम 1 के खातेदरी में रहेगी। बैंक लोन की अदायगी प्रतिवादी कम 1 करेगा। राजीनामा अनुसार दावा डिक्री फरमाया जावे।

पक्षकारान की ओर से जर्ये अभिभाषक न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया गया। प्रस्तुत राजीनामा पक्षकारान को पढ कर सुनाया गया उनके द्वारा राजीनामा सुनकर समझ कर स्वीकार किया गया तथा अपनी सहमति जाहिर की जिसकी पहचान अभिभाषक गण द्वारा की गई। प्रस्तुत राजीनामा सहमति एवं संतुष्टी के आधार पर स्वीकार किया जाकर सामिल पत्रावली किया गया । वादीगण का वाद मुताविक राजीनामा डिक्री किया जाना न्यायौचित है।

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारा

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छीपाबड़ौद जिला बारां (राज0)

अन्तिम डिक्री

वाद संख्या 166/2015	धारा अन्तर्गत 88,89,91,92ए,53,188 RTA	निर्णय दिनांक : 12.6.17
समक्ष : श्री हीरालाल वर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छीपाबड़ौद जिला बारां		
उपस्थिति : अभिभाषक वादी– श्री बृजमोहन मालव	अभिभाषक प्रतिवादी – श्रीमति पंकज शुक्ला	

वाद शीर्षक
उनवान

1. पंकज पुत्र हेमराज
2. त्रिलोक पुत्र हेमराज
3. अनिल पुत्र हेमराज
4. हनुमान पुत्र हेमराज
5. उमा पुत्री हेमराज
6. गायत्रीबाई बेवा हेमराज जाति अहीर निवासी अमलावदा खरण तहसील छीपाबडौद जिला बारां

बनाम

1. मदनलाल पुत्र हजारी जाति अहीर निवासी अमलावदा खरण
2. कंचनबाई पुत्री हजारी जाति अहीर निवासी अमलावदा खरण
3. सुगनबाई पुत्री हजारी जाति अहीर निवासी अमलावदा खरण
4. लीलाधर पुत्र अयोध्याबाई पुत्री हजारी जाति अहीर निवासी अमलावदा खरण तहठ छीपाबडौद
5. राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार छीपाबडौद
6. राज्य सरकार जर्ये उप पंजीयक छीपाबडौद
7. शाखा प्रबन्धक एस बी बी जे शाखा छीपाबडौद

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद मे यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वदीगण का वाद प्रस्तुत राजीनामे के आधार पर स्वीकार किया जाता है, विवादित आराजी का मुताबिक राजीनामा पक्षकरान् के मध्य पृथक–पृथक विभाजन किया जाता है। ग्राम खरण की आराजी ख0नं0 135 रकवा 12 बीघा पर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित कर वादीगण के खातेदारी में दर्ज करने तथा शेष आराजी ख0नं0 135 रकवा 3.17 बीघा , ख0नं0 287/134 रकवा 1.10 बीघा, व ख0नं0 295/136 रकवा 16.19 बीघा आराजी कुल 22.06 बीघा आराजी प्रतिवादी कम 1 के खातेदरी में रहेगी। बैंक लोन की अदायगी प्रतिवादी कम 1 करेगा। उक्तानुसार वादीगण एवं प्रतिवादी कम 1 के मध्य पृथक–पृथक विभाजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार छीपाबडौद को आदेशित किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार ..... रू0 का व्ययानुतोष ..... द्वारा ..... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरें हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 12.6.17 को निर्गत किया गया।

हस्ताक्षर
उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद

Scanned by CamScanner